संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 6 जुलाई, 2018 : आषाढ़ कृष्ण 8 वि. 2075

मन की प्रसन्नता ही व्यक्तित्व में उदारता बन जाती है

कर्ज माफी की बीमारी

कर्नाटक सरकार की ओर से किसानों के 34 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने की घोषणा यही बता रही है कि कर्ज माफी ने किस तरह एक राजनीतिक बीमारी का रूप ले लिया है। यह एक ऐसी राजनीतिक बीमारी है जो बैंकिंग व्यवस्था के साथ-साथ देश की आर्थिक सेहत पर भी बुरा असर डाल रही है। हालांकि अब तक के अनुभवों के साथ हर आर्थिक नियम यही गवाही दे रहा है कि किसानों के कर्ज माफ करने से न तो उनका भला होता है और न ही बैंकों का, लेकिन एक के बाद एक राज्य ठीक यही काम कर रहे हैं। वे यह जानते हुए भी कर्ज माफी की लोक-लुभावन नीति का परित्याग नहीं कर पा रहे कि इससे किसानों के हित नहीं सध रहे। विडंबना यह है कि अगर राज्य सरकारें किसान कर्ज माफी से बचना भी चाहें तो कथित किसान हितैषी समूह और विपक्षी दल उन्हें किसान विरोधी करार देकर उन पर दबाव बनाते हैं। पिछले कुछ समय से तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ही यह अभियान छेड़े हुए हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान उनके कर्जे माफ करने में है। कर्नाटक में बजट पेश होने के ठीक पहले उन्होंने यह उम्मीद जताई थी कि गठबंधन सरकार किसानों के कर्ज माफ करने के वायदे को पूरा करेगी। पता नहीं किस आधार पर उनका यह भी कहना था कि ऐसा होने से देश के किसानों में उम्मीद जगेगी? ध्यान रहे इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने भी राहुल की पहल पर ही किसानों के कर्ज माफ किए थे। अब साझा सरकार चला रहे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस आधार पर बजट में किसानों के दो-दो लाख रुपये के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी कि उन्होंने और साथ ही कांग्रेस ने अपने-अपने घोषणा पत्रों में इस आशय का वादा किया था।

यह ठीक है कि केंद्र सरकार कर्ज माफी की योजनाओं में भागीदार नहीं बन रही है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भाजपा शासित राज्य सरकारें भी कर्ज माफ करने की घोषणा करके खेती और किसानों का कथित तौर पर भला करने का संदेश देने में लगी हुई हैं। यह तो समझ आता है कि किसी आपदा की स्थिति में किसानों के कर्ज माफ किए जाएं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि रह-रह कर उनके कर्ज माफ होते रहें। राज्य सरकारें ऐसा करके बैंकों को खोखला करने के साथ ही आर्थिक नियमों से खिलवाड़ भी कर रही हैं। इसी के साथ वे जाने-अनजाने ईमानदारी से कर्ज चुकाने वाले किसानों को यह गलत संदेश भी दे रही हैं कि कर्ज चुकाने से बचने में ही समझदारी है। इस पर हैरत नहीं कि एक बड़ी संख्या में किसान यह मानकर चलने लगे हैं कि देर-सबेर उनके कर्जे तो माफ हो ही जाएंगे। पता नहीं क्यों राज्य सरकारें यह समझने से इन्कार कर रही हैं कि अधिकतर किसान खेती के लिए नहीं, बल्कि अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं? किसान हितैषी कहलाने के लोभ में वे यह भी नहीं देख पा रही हैं कि कर्ज माफी उन समस्याओं का समाधान नहीं जिनसे कृषि और किसान दो-चार हैं।

भ्रष्टाचार पर सख्ती

योगी सरकार ने एक बार फिर से अपना ध्यान भ्रष्टाचारियों पर केंद्रित कर दिया है। गुंडाराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा देकर सत्ता में आई भाजपा सरकार ने हालांकि इन दोनों ही मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता में ही रखा। कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन अब इसे लेकर और ज्यादा सख्त कदम उठाने जा रही है। सतर्कता अधिष्ठान समेत जांच एजेंसियों ने लंबित जांचों की फाइलों को फिर से खंगालना शुरू कर दिया गया है। इतना सब होने के बावजूद भ्रष्टाचार नहीं रुक पा रहा है। गरीबों और किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं में खासतौर से भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। थाना, तहसील और जिले से लेकर मुख्यालय स्तर के तमाम अफसर हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।

> सरकार गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार तो खत्म करे ही, उसके साथ में आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए भी खास उपाय करे

शासन स्तर पर सतर्कता अधिष्ठान, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, एसआइटी और आर्थिक अनुसंधान अपराध शाखा जैसी जांच एजेंसियों की बैठक जल्द होने वाली है। इसके बाद निसंदेह आम जनता का उत्पीड़न करने वाले तो कार्रवाई की जद में आएंगे ही, सपा-बसपा कार्यकाल में हुए घपले-घोटालों की जांच में भी तेजी आएगी। योगी सरकार पिछली सरकारों के शासनकाल के घपले-घोटालों को लेकर क्या करने जा रही है, यह तो वक्त के गर्भ में है, लेकिन सबसे पहली जरूरत है आम जनता के लिए शुरू की गई विकास योजनाओं का लाभ उन तक उचित रूप में पहुंचाना, जो कि उन्हें नहीं मिल पा रहा है। गरीब जनता का काम या तो समय पर नहीं हो रहा है या फिर बिना सुविधा शुल्क कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दलाल भी पूरी तरह सक्रिय हैं। सरकार गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार तो खत्म करे ही, आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए भी खास उपाय भी करे। सरकार की विकास योजनाएं परवान चढ़ें इस निमित्त भ्रष्टाचार का सफाया जरूरी है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से किसानों की दशा सुधरेगी?

आज का सवाल
क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार और एलजी के बीच गतिरोध दूर होगा?

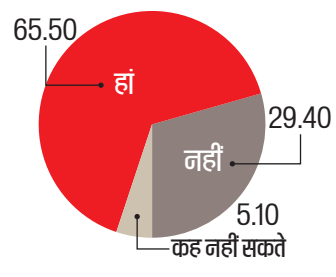

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

बेहतर कल के निर्माण का अभियान

जीएन वाजपेयी

स्वच्छता और राष्ट्रीय प्रगति एक दूसरे की पूरक हैं। साफ-सफाई से लोगों की सेहत से लेकर पर्यावरण का भी संरक्षण होता है, जिसके व्यापक लाभ अर्थव्यवस्था को मिलते हैं

हाल में दिल्ली यात्रा के दौरान विमान में एक सज्जन मिले। वह काफी मुखर होकर यह शिकायत कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बजाय स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रम पर जोर देकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? संभव है कि ऐसे सवाल कुछ अन्य लोग भी करते हों। ऐसे लोगों को समझना होगा कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति भौतिक एवं सामाजिक ढांचे की बेहतरी से तय होती है। आजादी के बाद से विभिन्न सरकारों ने अर्थव्यवस्था के इन दो बुनियादी स्तंभों के निर्माण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की तमाम कोशिश कीं, लेकिन उन्हें सीमित सफलता ही मिल पाई। सामाजिक ढांचे में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और स्वच्छता जैसे विषय आते हैं। मोदी सरकार ने इस मुद्दे को बहुत ही रचनात्मक रूप से छुआ। आलोचक बेवजह ही सरकार के कुछ दूरगामी फैसलों का उपहास उड़ा रहे हैं। स्वच्छता विनम्रता की प्रतीक है जो सेहत को दुरुस्त रखते हुए अनुराग भाव बढ़ाती है। स्वच्छता और राष्ट्रीय प्रगति असल में एक-दूसरे की पूरक हैं। स्वच्छ भारत अभियान का मकसद शहरों, गांवों और प्रत्येक आवास के इर्दगिर्द स्वच्छता सुनिश्चित करना है। अगर हमारे आसपास की जगह साफ-सुथरी रहती है तो वहां बीमारी पैदा करने वाले तमाम विषाणु नहीं पनपते। स्वच्छता तमाम बीमारियों से बचाव में ढाल का काम करती है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि इससे स्वास्थ्य की देखरेख पर खर्च घटता है और देश की छवि बेहतर बनने से पर्यटन और विदेशी निवेश में भी इजाफा होता है। इसके साथ ही पर्यावरण के लिए बेहतर परिस्थितियां बनती हैं। इन सभी की गणना स्वच्छता से जुड़े आर्थिक फायदों के रूप में की जा सकती है। अभी तक सरकारी स्तर पर स्वच्छता की चुनौती का सामना ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय संस्थाओं द्वारा ही किया जाता रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के जरिये मोदी सरकार राज्यों और व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से स्वच्छता को आदत में शामिल कराने का प्रयास कर रही है ताकि लोग अपने आसपास साफ-सफाई रखें। स्वच्छ भारत के माध्यम से मौजूदा पीढ़ी की जागरूकता एक तरह से आने वाली पीढ़ियों में रोपा जाने वाला बीज है। इससे ही स्वच्छ भारत की नींव तैयार होगी।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में ग्लोबल एनवायरमेंट हेल्थ के पूर्व प्रोफेसर किर्क स्मिथ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार किसी रसोई में उपले, लकड़ी और कोयले जैसे ईंधन पर खाना पकाने से एक दिन में चार सौ सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। स्मिथ ने इंडोर कुकिंग के प्रभावों पर भी व्यापक अध्ययन किया है। 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के एक तिहाई हिस्से में खाना पकाने के लिए बायोमास और उपलों का इस्तेमाल होता है। इससे आंतरिक स्तर पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के शरित भौमिक ने अपने अध्ययन में लकड़ी और उपले जैसे ईंधन पर खाना पकाने के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए बहुत गंभीर परिणाम बताए हैं। ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि तमाम भारतीय तपेदिक यानी टीबी और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मुफ्त में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराकर सरकार प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन पर लगाम लगा रही है। इससे बाल मृत्यु दर में कमी के साथ ही खाना पकाने वाली महिला का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आसपास साफ-सफाई भी रहेगी।

अवधेश राजपूत

अभी हाल में मैं अपने पुश्तैनी गांव गया। इस दौरान अपने बटाईदार के घर जाना हुआ, जो मेरी खेती की थोड़ी-बहुत जमीन का बंदोबस्त देखते हैं। वह समाज के सबसे गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। मैं उनके घर में साफ-सफाई की स्थिति देखकर हैरान रह गया। मुझे वहां पहुंचे कुछ पल ही हुए होंगे कि उनकी बेटी ने मुझे चाय पेश की। जब मैंने पूछा कि इतनी जल्दी चाय कैसे तैयार हो गई तो जवाब मिला कि रसोई गैस कनेक्शन की मेहरबानी से यह संभव हुआ। रसोई गैस पर खाना पकाने से महिलाओं को तमाम फायदे हुए हैं। उनका तमाम समय बचता है और वे इस दौरान किसी आर्थिक गतिविधि में शामिल हो सकती हैं। इससे लैंगिक समानता भी बढ़ेगी। साथ ही धुएं से मुक्ति के कारण पर्यावरण की सेहत भी सुधरेगी। इसी तरह सभी गांवों के विद्युतीकरण से जुड़ी सौभाग्य योजना के जरिये देश के गरीब से गरीब लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई जानी है। केरोसिन या किसी अन्य तरह के लैंप की रोशनी में पढ़ने या कोई और काम करने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। इससे घर की साफ-सफाई प्रभावित होती है। कुल मिलाकर लोगों की सेहत और उत्पादकता पर दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं।

मनीला विश्वविद्यालय की एलेटा दोमदोम, फिलीपींस विश्वविद्यालय की वर्जिनिया आबियाद और विश्व बैंक के दाउग वेंस ने फिलीपींस में विद्युतीकरण के फायदों पर एक अध्ययन किया है। सर्वेक्षण में शामिल 98 प्रतिशत लोगों ने माना कि उनके बच्चों की शिक्षा के लिए बिजली बेहद महत्वपूर्ण है। करीब 95 फीसद ने माना कि बिजली की सुविधा मिलने से उनके बच्चों ने महीने में 14 घंटे अधिक पढ़ना शुरू कर दिया है। इससे हुए फायदों की फेहरिश्त यहीं खत्म नहीं हो जाती। बिजली मिलने से इन परिवारों की आमदनी में खासा इजाफा हुआ है। भारत में समस्या यह है कि जिन गांवों में बिजली मौजूद भी है वहां कनेक्शन लेने की राह में लागत और समय के मोर्चे पर तमाम समस्या का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि सौभाग्य योजना से इन गड़बड़ियों पर विराम लगेगा।

हर घर में शौचालय बनाने के अभियान ने भी स्वच्छता के मिशन को परवान चढ़ाया है। घरों के आसपास साफ-सफाई होने से कई बीमारियों से रोकथाम हो जाती है। इससे आम लोगों के साथ ही पर्यावरण को भी लाभ पहुंचता है। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के लिए भी घरों में शौचालय होना जरूरी है। इससे शौच के लिए बाहर निकलने में समय भी व्यर्थ नहीं होता। सामाजिक अवसंरचना के निर्माण में ये सभी कदम खासे अनूठे हैं। व्यक्तिगत प्रयासों और साथ ही सरकार द्वारा की जा रही कोशिश से स्वच्छता मिशन की सफलता की संभावनाएं उज्ज्वल दिखती हैं। बावजूद इसके मोदी सरकार के आलोचक स्वच्छता अभियान के लिए उठाए गए कदमों में मीनमेख निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे इन्हें महज कागजी और नारेबाजी मानकर खारिज करते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र और बुनियादी ढांचा प्रबंधन का कोई भी जानकार इनकी प्रशंसा ही करेगा। अंतरराष्ट्रीय मीडिया से भी स्वच्छ भारत अभियान को खूब सराहना मिली है। स्वच्छता अभियान का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रत्येक स्तर पर उत्पादकता में वृद्धि होगी। निःसंदेह तमाम कारोबारी घराने, एनजीओ, परोपकारी संगठन और सामाजिक रूप से जागरूक आम लोग स्वच्छ भारत अभियान के तहत उठाए गए कदमों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या में लोग इस मुहिम से जुड़ सकें तो फिर इसे एक आंदोलन में बदलने में मदद मिलने के साथ जल्द सफलता मिलने की जमीन भी तैयार होगी।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

उच्च शिक्षा में एक नया प्रयोग

निरंजन कुमार

उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित आयोग यूजीसी के मुकाबले सक्षम तो होगा, लेकिन उसमें कुछ खामी भी दिख रही है

उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर पिछले एक दशक से चल रही बहसों का एक निष्कर्ष यह रहा है कि इसमें एक क्रमबद्ध परिवर्तन की आवश्यकता है। शायद इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को समाप्त कर उसकी जगह 'भारतीय उच्च शिक्षा आयोग' के गठन का फैसला किया है। इससे संबंधित मसौदे को लेकर शिक्षाविद दोफाड़ हो गए हैं। एक तरफ इसे प्रगतिशील, दूरगामी और प्रभावकारी बताया जा रहा है तो दूसरी ओर इसे प्रतिगामी, अदूरदर्शी और राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देने वाला भी बताया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने मसौदे पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं ताकि अंतिम विधेयक में उचित सुझावों को शामिल किया जा सके। इस मसौदे की धारा-24 के तहत एक परामर्शदात्री परिषद की स्थापना का प्रावधान है। यह कदम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण होगा। यूजीसी व्यवस्था में यह प्रावधान नहीं था। इस परामर्शदात्री परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। अन्य सदस्यों में नए आयोग के सभी सदस्यों के अतिरिक्त सभी राज्यों के उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। यह बिंदु इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ मामलों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र से कहीं अधिक बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। देश में लगभग 70 प्रतिशत विश्वविद्यालय और 90 प्रतिशत कॉलेज राज्य सरकारों के अधीन हैं। जबकि अब तक उच्च शिक्षा संबंधित नीति निर्माण में राज्यों की भूमिका लगभग नगण्य थी। प्रस्तावित परामर्शदात्री परिषद में केंद्र और राज्य सरकारें उच्च शिक्षा से संबंधित समन्वय के बिंदुओं की पहचान करेंगी। बेहतर होगा कि इसे और व्यापक एवं समावेशी बनाते हुए केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघों 'फेडक्यूटा' और 'एआइफुक्टो' से एक-एक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल किए जाएं।

नया आयोग 'न्यूनतम दखल और अधिकतम काम', 'अनुदान कार्यों को अलग करना', 'इंस्पेक्टर राज का अंत', 'अकादमिक गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना', 'नियमन और लागू कराने का अधिकार' के सिद्धांतों पर आधारित होगा। इन सिद्धांतों में 'नियमन और लागू कराने का अधिकार' उल्लेखनीय है। यूजीसी इस मामले में सर्वथा दंतहीन था। अगर कोई संस्थान उसके आदेशों का अनुपालन नहीं करता था तो वह अधिक से अधिक उसका अनुदान रोक सकता था। निजी क्षेत्र के संस्थानों की मनमानी पर तो उसका और भी कोई जोर नहीं था, लेकिन अब नियमों एवं मानकों का जानबूझकर अथवा लगातार उल्लंघन कर रहे स्तरहीन संस्थानों को बंद करने का अधिकार उच्च शिक्षा आयोग के पास होगा। अनुपालन नहीं करने की स्थिति में जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है। इसी तरह से 'इंस्पेक्टर राज' के अंत की भी घोषणा कर दी गई है। नया आयोग संस्थानों को शुरू और बंद करने के लिए मानक और नियम तय करेगा और इस आधार पर उन्हें चलाने अथवा बंद करने का आदेश दे सकेगा। नई व्यवस्था में सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और सूचनाएं संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी ताकि सभी को संस्थान संबंधित पूरी जानकारी हो सके और जरूरत पड़ने पर शिकायत भी की जा सके। यह समूची प्रक्रिया 'न्यूनतम दखल और अधिकतम काम' के सिद्धांत पर ही आधारित है। मसौदे की धारा-15(4)(एल) के तहत नया आयोग शिक्षण संस्थानों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क को निर्धारित करने के लिए मानक और प्रक्रिया भी बनाएगा। इस प्रावधान के महत्व को ऐसे समझा जाए कि इससे निजी संस्थानों द्वारा अनाप-शनाप फीस निर्धारित करने और वसूलने पर एक बड़ी हद तक नियंत्रण लग सकेगा। साथ ही आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए जरूरी कदमों की जानकारी भी देगा।

नए प्रावधानों में सबसे ज्यादा विवादास्पद 'अनुदान कार्यों' से आयोग को अलग करना है। सैद्धांतिक रूप से तो यह सही है कि एक ही निकाय में दो शक्तियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि अनुदान का यह कार्य मंत्रालय के अधीन किया जाना है। यह अनेक जटिलताओं को जन्म देगा, क्योंकि अनुदान प्रणाली को राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ-साथ नौकरशाही की लालफीताशाही की दोहरी मार सहनी पड़ेगी। पहले भी अनुदान कार्य राजनीतिक हस्तक्षेप और लालफीताशाही से अछूते नहीं रहे हैं, लेकिन स्वायत्त यूजीसी के हाथ में होने से अनुदान संबंधी कामकाज अपेक्षाकृत ठीक-ठाक चलते रहे हैं। दरअसल उच्च शिक्षा में प्रोजेक्ट, रिसर्च से लेकर आधारभूत संरचना में धन का आवंटन नौकरशाही के चश्मे से नहीं किया जा सकता। खास तौर से तब और भी नहीं जब भारतीय नौकरशाही का पुराना रिकॉर्ड बहुत उत्साहवर्धक न रहा हो। अनुदान कार्यों के लिए चाहे एक अलग स्वायत्त निकाय हो अथवा यह नए आयोग के पास ही रहे, यह बहुत जरूरी है कि मंत्रालय से यह स्वतंत्र ही हो। यह भी जरूरी है कि अनुदान की प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी होनी चाहिए। प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को लेकर भी कुछ समस्याएं हैं। मसौदे की धारा 3(6)(ए) के अनुसार एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं शैक्षिक प्रशासक जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों के निर्माण और शासन की सिद्ध क्षमता हो, वह भी अध्यक्ष बन सकता है। यह अपने आप में अत्यंत खतरनाक प्रावधान है।

इस व्यवस्था से तो कोई शक्तिशाली राजनेता या व्यवसायी और उद्योगपति, जिनके अपने कॉलेज/विश्वविद्यालय हों अथवा शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई प्रभावशाली नौकरशाह भी अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो सकता है। उच्च शिक्षा की इससे जो दुर्दशा होगी उसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। यह प्रावधान स्पष्ट होना चाहिए कि अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय का प्रोफेसर ही होगा, क्योंकि उच्च शिक्षा की जटिलता एवं उसे समग्रता में केवल एक प्रोफेसर ही समझ सकता है। यह भी चिंताजनक है कि आयोग के 12 सदस्यों में केवल दो प्रोफेसर होंगे जबकि यूजीसी अधिनियम में 10 सदस्यों में न्यूनतम चार प्रोफेसरों का प्रावधान था। यह जरूरी है कि नए बनने वाले आयोग में कम से कम पांच प्रोफेसर हों और न्यूनतम चार सरकारी विश्वविद्यालयों से हों। बेहतर होगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए सर्च कमेटी जो पैनल तैयार करे उसका चयन अकेले सरकार न करे। इससे विवाद की गुंजाइश कम होगी। और भी अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च प्राधिकार समिति ही इसका चयन करे। समिति के अन्य सदस्यों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एचआरडी मंत्री शामिल हो सकते हैं।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

दिव्य चिंगारी

हम सभी में एक दिव्य चिंगारी छिपी है। विस्मयकारी सौंदर्य के मंडल, अकल्पनीय दृश्य और ध्वनियां, असीम विवेक और पूर्ण रूप से आलिंगित करता प्रेम हमें अंतर्मन में आमंत्रित करते हैं। दिव्य ज्योति निरंतर प्रकाशित रहती है। यह हमारे भीतर विद्यमान है, जो हमारे जीवन में कायाकल्प कर सकने की सामर्थ्य रखती है। यह हमें विवेक, शाश्वत सुख, पूर्ण प्रेम, निर्भयता और अमरत्व दे सकती है। वैज्ञानिकों की भांति हम इसे तारों से भरे आसमान में और परमाणु के अंदर ढूंढते रहते हैं। हम इसे धर्मस्थानों, धर्मग्रंथों और तीर्थस्थानों में भी ढूंढते रहते हैं, परंतु इसको प्राप्त करने के लिए हमें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है; यह ज्वाला हम सबके भीतर विद्यमान है। जब हम उसे खोज लेते हैं तो हम अंतस के अचरजों को देखने वाले बन जाते हैं और हर्षोन्माद का अनुभव करने लगते हैं।

यह बात मात्र कुछेक के लिए नहीं है, वरन यह सभी के लिए उपलब्ध है। ध्यानाभ्यास द्वारा हम आंतरिक ज्योति को देख व सुन सकते हैं। इस धारा में लीन होने पर हमें चेतनता के आत्मिक मंडलों का अनुभव होता है। ध्यानाभ्यास की इस विधि को सभी धर्मों, देशों, व संस्कृतियों के व्यक्ति अपना सकते हैं। इसके लिए किन्हीं कठोर आसनों या मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। इस आरामदेह अवस्था में बैठकर अपनी आत्मा की शांत गहराइयों में अद्भुत ज्योतिर्मय आंतरिक दृश्यों का अनुभव करते हैं। जैसे ज्योति की एक किरण वापस सूर्य की ओर ले जाती है, वैसे ही आंतरिक यात्रा हमें ज्योति के स्रोत, दिव्यता के केंद्र की ओर ले जाती है। ध्यानाभ्यास के द्वारा हम उस स्रोत में लीन हो सकते हैं तथा असीम चेतनता, शाश्वत शांति और अनवरत सुख का अनुभव कर सकते हैं।

जिस प्रकार गर्माहट पाने के लिए हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार हमें अंतस में आत्मिक चिंगारी प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। एक बार यह चिंगारी जल जाए तो इसे जलाए रखने के लिए हमें इसकी देखरेख करनी होगी। जैसे-जैसे यह हमें प्रदीप्त करती है, हम अपनी शाश्वत ज्योति से ऐसे प्रकाशवान होते हैं कि यह हमसे सभी मिलने वालों की ओर प्रसारित होती जाती है, जब तक कि समस्त विश्व दिव्य ज्योति से भरपूर और शाश्वत प्रेम, शांति और परमानंद से सराबोर नहीं हो जाता।

संत राजिंदर सिंह जी महाराज

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

विरोध से बचे कांग्रेस

आरक्षण वर्गीकरण का अनावश्यक विरोध शीर्षक से लिखे अपने लेख में सुरेंद्र किशोर ने पिछड़े वर्ग के उप वर्गीकरण को लेकर कांग्रेस के विरोधी स्वर मुखर होने को पार्टी अहित में बताया है। हमारे देश के संविधान में सामाजिक, शैक्षणिक आकलन के आधार पर जातिगत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है कि एक वर्ग में सबको समान रूप से आरक्षण का लाभ मिलने के स्थान पर पहले आरक्षण का लाभ उठाकर संपन्नता की स्थिति में पहुंचे लोग ही संपूर्ण आरक्षण को डकारने की कोशिश करते हैं। जिस कारण आरक्षित वर्ग की कुछ जातियां आरक्षण के वास्तविक लाभ से वंचित हो जाती हैं। जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति अधिक लचर हो जाती है। इसी के मद्देनजर देश में अन्य पिछड़े वर्ग की अतिपिछड़ी जातियों का स्तर उठाने व सबको समान रूप से आरक्षण का लाभ दिलाकर सबका साथ सबका विकास के सपने को साकार करने के लिए ही मोदी सरकार ने पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण कर इसे संवैधानिक दर्जा दिलाने का जो कदम उठाया वह निश्चित ही काबिले तारीफ है। इसके फलस्वरूप एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले को संपन्न वर्ग में पहुंचाकर आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। जिससे पिछड़े वर्ग की दबी-कुचली जातियों को भी सिर उठाने का मौका मिल सकेगा और आर्थिक विषमता भी दूर होगी। बावजूद इसके कांग्रेस का तर्क है कि मोदी सरकार का यह कदम सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। जिस कारण कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस को इसका आकलन अवश्य कर लेना चाहिए कि निकट भविष्य में होने वाले आम चुनाव में उसे इसके विरोध का कितना खामियाजा भुगतना होगा। जब पिछड़े वर्ग के उपवर्गीकरण का फॉर्मूला बिहार में काम कर सकता है तो फिर देश में क्यों नहीं? आरक्षण के लाभ से कोसों दूर होते अतिपिछड़ों को उनका हक दिलाने के वास्ते मोदी सरकार द्वारा लिया गया फैसला यदि परवान चाढ़ता है तो यह देश में बड़े बदलाव की शुरुआत होगी।

पिंटू सक्सेना, लखनऊ

कोई भी पेड़ न कटे

दिल्ली की हवा पहले से ही खराब है। इसको सुधारने के लिए दिल्ली सरकार व संबंधित विभाग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कालोनी के पुर्ननिर्माण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटने की योजना बनाना कहां की समझदारी है? अगर लोगों ने इसका विरोध न किया होता तो अब तक सब पेड़ कट चुके होते। पर्यावरण के लिए पेड़ों के महत्व को देखते हुए कोर्ट ने भी इनके काटने पर रोक लगा दी है। सही भी है, एक पेड़ को तैयार होने में बीसों साल लग जाते हैं। अगर बहुत जरूरी न हो तो कोई भी पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए।

संध्या कुमारी, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, दिल्ली विवि

बच्चों में संस्कार की कमी

कुछ राज्य सरकारें 12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा का प्रावधान कर अपनी पीठ थपथपा रहीं हैं। क्या इस समस्या का यही हल है? क्या इससे पहले कभी कोई कानून नही बने थे? सिर्फ कानून बनाना ही किसी समस्या का हल होता तो समस्या पैदा ही नहीं होती। क्या फांसी देने से क्षतिपूर्ति की जा सकती है उस अबला की? क्या गारंटी है कि दुष्कर्मी को फांसी देने से और दुष्कर्म रुक जाएंगे? हम इसकी असली वजह को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या वजह है जो समाज में आज दुष्कर्म के अपराध बढ़ते जा रहे हैं? इसकी वजह सिर्फ एक है कि आज हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं।

pvn.kbl@gmail.com

कोर्ट के फैसले के बाद भी संकट

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर चल रहे विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा। दिल्ली के सरकारी अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के निर्देशों के अनुपालन से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वह मुख्य सचिव और उपराज्यपाल के प्रति जिम्मेदार हैं, इसलिए दिल्ली सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं करेंगे। वहीं सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी अधिकार राज्य सरकार के अंतर्गत बताए हैं। इसलिए अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए अन्यथा कोर्ट की अवहेलना होगी और दिल्ली में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। वास्तव में सवाल जायज है कि अगर ऑफिस काम नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। ब्यूरोक्रेसी सरकार का एक अभिन्न हिस्सा होती है, इसके माध्यम से ही सरकार महत्वपूर्ण कामों को कर पाती है। अगर इस तरह से सरकार और अधिकारियों के बीच तनातनी चलती रही तो निश्चय ही दिल्ली के कामों में अवरोध उत्पन्न होगा। सरकार और ब्यूरोक्रेसी दोनों को साथ मिलकर विचार करना चाहिए। जनता के काम प्रभावित न हो, यह दोनों को देखना है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में स्पष्टता लाने की कोशिश करनी चाहिए। जो अधिकारी केंद्र की सेवा में हैं, उन्हें छोड़कर राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों के अधिकारियों को दिल्ली सरकार के आदेशों का पालन करना ही चाहिए। केंद्र को भी इस मामले को हल कराने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। अगर अधिकारी सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो कोई काम कैसे होगा।

नीरज झा, दिल्ली विश्वविद्यालय

ट्वीट-ट्वीट

मुझे विश्वास है कि अफगानिस्तान में मारे गए सिखों के लिए सरकार मुआवजे के साथ दूसरी सुविधाओं पर गौर करेगी। शिअद प्रतिनिधिमंडल ने इस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात की है। हरसिमरत कौर बादल@HarsimratBadal_

यह बहुत बेहूदा बात है। भारत सरकार किसी दूसरे देश के नागरिकों को क्